राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1383/2012/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'अ', अलवर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गुप्ता टायर्स, स्टेशन रोड़, अलवर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : ~~20/04/2017~~ 25/5/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 164/RVAT/2011–12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.01.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'अ', अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये वेट अधिनियम की धारा 26, 55 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों में रूपये 8,01,784/– का ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त होना दर्शाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी क़ी आलौच्य अवधि के लिये वेट अधिनियम की धारा 26, 55 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.10.2010 में उक्त ट्रेड डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रूपये 1,00,223/–; ब्याज रूपये 37,082/– कुल रू0 1,37,305/– का आरोपण किया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2012 से प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की जाकर उक्त कर, ब्याज को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार............2

5. प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर व ब्याज का आरोपण किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में **'विक्रय मूल्य'** को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :–

(36) **"sale price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

6. वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वायस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थी के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर आरोपित कर व ब्याज अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं है तथा ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि पर आरोपित किये गये करारोपण को अपास्त किया गया है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 05.01.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

25/5/17

(खेमराज)
अध्यक्ष